न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/72/2019

प्रवेश तिथि 09.08.19

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री घनश्याम शर्मा, निवासी मौहल्ला सिद्धिपुरा, हनुमानजी की गली, अलवर तह0 व जिला–अलवर।		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 11.09.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 27.06.19 पर प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में बिंदू संख्या 1, 2 व 3 में भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ द्वारा जारी निलामी सूचना संख्या 1161–70 दि0 03.06.19 के अनुसार गादोज–माजरी–कुण्ड सड़क (SH-111) एवं माजरी–नीमराना सड़क (SH-111A) के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 27.06.19 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 07.08.19 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2019/579–80 दिनांकः 09.08.19 के माध्यम तलब कर दिनांकः 21.08.19 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्र क्रमशः दिनांकः 21.08.19, 28.08.19 एवं 04.09.19 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी करने के बावजूद भी प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्यर्थी उप0 नहीं हुआ।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उक्तांकित अपील प्रकरण में निर्णय दिनांक तक ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और ना ही अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ। अपीलार्थी भी उपस्थित नहीं आया तथा अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में या उसके बाद एवं प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दायर करने के बावजूद–

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

(2)

भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार–बार जारी नोटिसों के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो अधिनियम की भावना, प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की ठोस अनुपालना के प्रति प्रत्यर्थी विभाग की उदासीनता का परिचायक है।

7. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 27.06.19 में वांछित सूचना, उनके अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी सूचना निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को बिन्दूवार उपलब्ध कराई जावे।

8. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे एवं इस प्रकार की पुनरावृति ना हो, सुनिश्चित करें।

9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)